मध्यप्रदेश शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक 863/64/23/यो.आ.सां./2021 भोपाल, दिनांक 04/10/2021

प्रति,

1. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव समस्त विभाग मध्यप्रदेश शासन**
2. **समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश शासन**
3. **समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश**
4. **समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश**

विषय:- मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् को प्रदेश में कार्यरत सभी स्वैच्छिक संगठनों के लिये नोडल एजेन्सी घोषित किये जाने के संबंध में।

...

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद्, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अनुरूप गठित होकर वर्ष 1997 से कार्यरत संस्था है।

2. मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् की नियमावली अनुसार पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा बहुउद्देशीय अभिनव परियोजनायें प्रारम्भ करने हेतु शासन के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय करने का दायित्व है।

3. माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् की शासी निकाय की 12वीं बैठक दिनांक 30 जुलाई 2021 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् को प्रदेश में कार्यरत सभी स्वैच्छिक संगठनों के लिये नोडल एजेन्सी घोषित किया जाता है। मध्यप्रदेश शासन के

विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं में यदि उन संस्थाओं को सहभागिता करना है तो ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।"

4. राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् प्रदेश में कार्यरत सभी स्वैच्छिक संगठनों हेतु निम्नलिखित कार्यों के लिये नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी:-

i. परिषद् द्वारा प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों हेतु उनके गठन की मूल अवधारणा के अनुरूप गठन, विकास एवं सशक्तीकरण के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना।

ii. परिषद् द्वारा प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों का उपलब्धी आधारित प्रत्यायन/मूल्यांकन करना।

iii. परिषद् द्वारा राज्य शासन एवं स्वैच्छिक संगठनों में आपसी विश्वास तथा सम्मान के सिद्धान्तों पर साझे उत्तरदायित्व के साथ काम करने हेतु प्रणालियां विकसित करना।

iv. परिषद् द्वारा प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों में आंतरिकत प्रबंधन में पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रणालियों को अपनाने के लिये सहयोग देने हेतु प्रदेश के समस्त जिलों में संगठनों के पंजीकरण एवं अनुश्रवण की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।

v. परिषद् द्वारा प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समेकित एप्लीकेशन सॉफटवेयर संचालित किया जायेगा जिसमें इंटरनेट के माध्यम से संगठनों के ऑनलाईन पंजीकरण हेतु सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी साथ ही वार्षिक प्रतिवेदन भी ऑनलाईन जमा कराने का प्रावधान रखा जायेगा।

5. मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों में यदि किसी स्वैच्छिक संस्था को सहभागिता करना है तो ऐसी संस्था को मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अभिषेक सिंह)
उप सचिव

पृ. क्रमांक 864/1606/2021/23/मो.आ.सं. भोपाल, दिनांक 04/10/2021

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. महानिदेशक, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद्।
5. कार्यपालन निदेशक मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद्।

उप सचिव